

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309 ई मेल : jacet.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :-F4(ई) सेवानिवृत्त/कनि० लेखाकार/अलेसे III/2020/539 दिनांक :- 29-4-2020

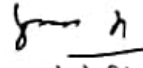
कार्यालय आदेश
अतिरिक्त संलग्न-38/2020-21

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.04 के अन्तर्गत निम्नांकित कनि० लेखाकार को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक (मध्याह्न पश्चात्) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	लिक नं.	प्रथम नियुक्ति का मेरिट/बैंच	कनि० लेखाकार	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	विशेष विवरण
1	480	242/1983	पूर्ण मल खीचड़	06.07.60	31.07.2020	16 सीरीए के तहत जांच कार्यवाही लम्बित है।
2	3020	539/1983	वीरबहादुर गुर्जर	08.07.60	31.07.2020	
3	1556	768/1986	राजकुमार स्वामी	08.08.60	31.08.2020	
4	2153	468/1990	राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित	12.09.60	30.09.2020	16 सीरीए के तहत जांच कार्यवाही लम्बित है।
5	9765	589/1994	बन्ना मेघवाल	16.10.60	31.10.2020	

उपरोक्त अंकित कनि० लेखाकारों में से राजकीय आवास में अधिवासित कार्मिकों के मामलों में आवंटि की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।

नोट:- सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी जिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह संबंधित विभाग से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के नीचे दिये गये सेवानिवृत्ति आदेश के प्रारूप -6 वित्त (नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांक पं.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के बिन्दु 2 (1,2,3) की पूर्ति कर इस विभाग को भिजवायें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :-F4(ई) सेवानिवृत्त/कनि० लेखाकार/अलेसे III/2020/539 दिनांक :- 29-4-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज० जयपुर
- संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय.....
- कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना सम्बन्धित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवायें जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- श्री.....कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1/कार्मिक-II/कार्मिक-III) कार्यालय हाजा।
- डीपीसी अनुभाग/जांच अनुभाग/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- रक्षित/निजी पत्रायली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)